738

दिनांक 06.02.2026 को अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान प्रक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य (ई0आर0एम0) योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं संवेदक की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न।

<u>मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान प्रक्षेत्र</u>

1. पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) के पुनर्स्थापन (ई0आर0एम0) योजना अन्तर्गत सभी नौ ग्रुपों के कार्यों की समीक्षा की गई :–

<u>ग्रुप सं0–01</u>

ग्रुप सं0–01 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, भोरे एवं गोपालगंज अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, भोरे है। सारण नहर प्रमंडल, भोरे के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कई नहरों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। साथ हीं एकरारनामा के तहत प्रावधानित संरचनाओं के निर्माण की प्रगति भी काफी धीमी है। इस ग्रुप का Overall Physical Progress 29 % है। संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप श्रमबल एवं मशीनरी उपलब्ध है। सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि ग्रुप सं0–01 अन्तर्गत उनके प्रमंडलाधीन सभी कार्यों का निष्पादन करा लिया गया है।

जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित संवेदक RKS Engicon के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कई नहरों में वृक्ष पातन एवं Electric Pole Shifting की समस्या है। इसके साथ–साथ एकरारनामा के तहत प्रावधानित संरचनाओं का रूपांकित नक्शा उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिन संरचनाओं का नक्शा उपलब्ध कराया गया है, उन संरचनाओं का कार्य या तो पूर्ण करा लिया गया है या प्रगति में है। इसके अतिरिक्त संवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए गए E/W एवं अन्य कार्यों का भुगतान लंबित है। संवेदक द्वारा वृक्ष पातन के लागत के भुगतान की समस्या उठायी गई।

(क) उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा प्रमंडलीय अभियंताओं को चार दिनों के अन्दर दो अदद् सी0डी0 एवं 15 अदद् एच0आर0 सी0आर0 का नक्शा उपलब्ध करा देने का निदेश दिया गया। साथ हीं संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को इसकी समपुष्टि हेतु निदेशित किया गया।

(ख) एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का संवेदक को लंबित भुगतान दिनांक 13.02.2026 तक नियमानुकूल भुगतान करने का निदेश प्रमंडलीय पदाधिकारियों को दिया गया।

<u>ग्रुप सं0–02 (ग्रुप सं0–07 सहित)</u>

ग्रुप सं0–02 (ग्रुप सं0–07 सहित) का कार्य सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज, भोरे एवं मढ़ौरा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज है। सारण नहर प्रमंडल, भोरे के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रुप सं0–02 अन्तर्गत इनके प्रमंडलाधीन 81.71 % भौतिक प्रगति है। शेष नहरों में से नहर के कुछ भाग को छोड़कर, जिसमें वृक्ष पातन की समस्या है, अधिकतर भाग बाधा रहित है, जिसमें संवेदक द्वारा कार्य किया जा सकता है, परन्तु उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रमंडल अन्तर्गत कार्यों की भौतिक प्रगति 91.78 % है। नहर विगत तीन माह से बंद है लेकिन संवेदक द्वारा इस अवधि में 03 कि0मी0 लाईनिंग का कार्य किया गया है, जो ओ0आई0एस0 के अनुरूप 11 कि0मी0 होना चाहिए। 199 अदद् संरचनाओं में से 171 अदद् संरचना का निर्माण हो चुका है। शेष 28 अदद् संरचना का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है।

सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एकरारनामा के अनुसार 47 नहरों में कार्य किया जाना है, जिसमें से 46 नहरों में पी0सी0सी0 लाईनिंग का भी कार्य है। वर्तमान में संवेदक द्वारा 08

अदद् नहरों में कार्य किया जा रहा है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रमंडल अर्न्तगत दो सहायक अभियंता पदस्थापित है, जिसमें से एक स्वास्थ्य कारणों से उपार्जित अवकाश पर है। अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा बताया गया कि सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज से एक सहायक अभियंता श्री नवप्रकाश भारती की प्रतिनियुक्ति सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा अन्तर्गत की गई है। संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेष दिया गया कि प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता की उपस्थिति कार्यस्थल पर सुनिश्चित की जाय। साथ हीं एक अदद् सहायक अभियंता के पदस्थापन हेतु संयुक्त सचिव (प्रबंधन) से अनुरोध किया गया।

संवेदक द्वारा बताया गया कि मिट्टी का कार्य उनके द्वारा लीड से मिट्टी लाकर किया गया है। अधिक दूरी से मिट्टी लाकर कार्य किए जाने एवं 2.5 से 3.0 कि0मी0 की लीड से भुगतान की सहमति देने के बावजूद भी कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। एकरारनामा में डोरीगंज से बालू का प्रावधान है। डोरीगंज क्वैरी साईड के बंद होने के कारण विभागीय निदेश के आलोक में आसनसोल क्वैरी साईड से बालू लाकर काम किया गया लेकिन उसका भुगतान अभी तक लंबित है। संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज का पत्र संज्ञान में लाया गया, जिसमें उनके द्वारा अवधि विशेष में आसनसोल क्वैरी साईड से लाए गए बालू की मात्रा का उल्लेख है। संवेदक द्वारा बताया गया कि कई नहरों में वृक्ष पातन एवं Electric Pole Shifting की समस्या है।

एकरारनामा के तहत प्रावधानित संरचनाओं के निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। ग्रुप सं0—02 का भौतिक प्रगति 82% एवं इसके साथ संलग्न ग्रुप सं0—07 की भौतिक प्रगति 10.4 % है। इस प्रकार ग्रुप सं0— 02 (ग्रुप सं0—07 सहित) का Overall Physical Progress 46.51 % है। कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 31.05.2026 है। समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान द्वारा बताया गया कि लीड से संबंधित मामले उनके संज्ञान में अभी तक नहीं थे। निर्धारित अवधि के भीतर कार्य संपादित कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं संवेदक को आपसी समन्वय बनाकर युद्धस्तर पर कार्य कराने की आवश्यकता है।

ज्ञातव्य हो कि संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं संवेदक को अभिलेख के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया था, ताकि सभी मामलों का निराकरण किया जा सके परन्तु उनके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसके लिए अभियंता प्रमुख द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया। सथ ही प्रमंडलीय अभियंताओं एवं संवेदक को उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराने हेतु कहा गया।

(क) उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों यथा लीड से मिट्टी कार्य, संवेदक द्वारा माँग किए जा रहे बालू के लंबित भुगतान नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करते हुए दिनांक 13.02.2026 तक करने का निदेश मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों को दिया गया।

<u>ग्रुप सं0—03</u>

ग्रुप सं0—03 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, मैरवा अन्तर्गत है। कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा द्वारा बताया गया कि ग्रुप सं0—03 अन्तर्गत इनके प्रमंडलाधीन 83.77 % भौतिक प्रगति है। प्रमंडल अन्तर्गत 26 अदद् नहरों में कार्य करना है, जिसमें से 17 अदद् नहरों पर वृक्ष पातन की समस्या है। उनके द्वारा बताया गया कि इस कार्य में विद्युत पोल शिफ्टिंग का कोई मामला नहीं है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है।

संवेदक द्वारा लीड से कराए गए मिट्टी कार्य एवं बालू के डोरीगंज क्वैरी साईट बन्द रहने की स्थिति में अन्य क्वैरी साईट से बालू लाकर कराए गए कार्यों हेतु बालू की लीड की भुगतान का मामला उठाया गया, लेकिन उक्त के संबंध में अभिलेख नहीं दिखाया जा सका। दो दिनों में मुख्य अभियंता को अभिलेख उपलब्ध करने की बात कही गई।

ज्ञातव्य हो कि संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं संवेदक को अभिलेख के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया था परन्तु उनके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसके लिए अभियंता प्रमुख द्वारा क्षोभ व्यक्त किया गया। सथ ही प्रमंडलीय अभियंताओं एवं संवेदक को उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराने हेतु कहा गया।

(क) उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों यथा लीड से मिट्टी कार्य, संवेदक द्वारा माँग किए जा रहे बालू के लीड संबंधी लंबित भुगतान नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करते हुए दिनांक 13.02.2026 तक करने का निदेश मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों को दिया गया।

ग्रुप सं0—04

ग्रुप सं0—04 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, सिवान एवं भोरे अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, सिवान है। कार्य की भौतिक प्रगति 20.20 % है। सारण नहर प्रमंडल, भोरे के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। कपरपुरा माईनर और अटवाँ माईनर में अभी भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। काजीपुर उपवितरणी में लाईनिंग का कार्य चल रहा है, जो विगत तीन दिनों से बंद है।

इस संबंध में संवेदक द्वारा कहा गया कि मिट्टी का डिस्पोजल के क्रम में रैयतों द्वारा उनके खेत में मिट्टी पड़ जाने का आरोप लगाते हुए कार्य बंद करा दिया गया है। प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन कार्य अभी भी बंद है। संवेदक द्वारा आश्वस्त किया गया कि अगले दो दिनों में अटवाँ माईनर में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। संवेदक द्वारा लीड से मिट्टी कार्य की स्वीकृति नहीं किए जाने का मामला उठाया गया। अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान द्वारा आश्वस्त किया गया कि अगले दो दिनों में लीड स्वीकृति की कार्रवाई उनके स्तर से कर दी जाएगी।

संवेदक द्वारा वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल के विस्थापन के समाधान का मामला उठाया गया। संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया।

(क) उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का संवेदक को लंबित भुगतान दिनांक 13.02.2026 तक नियमानुकूल भुगतान करने का निदेश प्रमंडलीय पदाधिकारियों को दिया गया।

(ख) संवेदक को समय अवधि विस्तार के हेतु सुसंगत अभिलेख संबंधित प्रमंडल को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिसपर क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ग्रुप सं0—05

ग्रुप सं0—05 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, एकमा, महाराजगंज एवं छपरा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, एकमा है। कार्य की भौतिक प्रगति 78.55 % है। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। दिनांक 31.05.2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है, लेकिन संवेदक द्वारा उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।

संवेदक द्वारा बताया गया कि महाराजगंज प्रमंडल अन्तर्गत 17 अदद् नहरों में कार्य किया जाना है, जिसमें अधिकतर में वृक्ष पातन की समस्या बनी हुई है। स्थल पर विद्युत पोल शिफ्टिंग की भी समस्या है। नहरों के कतिपय भागों में अतिक्रमण की भी समस्या संवेदक द्वारा उठाया गया है, जिसके कारण उन्हें कार्य हेतु पूरा रीच नहीं मिल पा रहा है। संवेदक द्वारा लीड से मिट्टी कार्य, लाईनिंग के नीचे किए गए मिट्टी कार्यों के भुगतान लंबित होने की बात कही गई। साथ हीं संवेदक द्वारा GST के लंबित भुगतान की माँग उठाई गई। कार्यपालक अभियंता, छपरा द्वारा बताया गया कि संवेदक स्तर से कार्यों के भुगतान हेतु समर्पित ग्राफ में नहर भाग का पूरा सेक्शन बैंक सहित दर्शाते हुए मिट्टी के भुगतान का माँग किया जा रहा है। जबकि नहर के बैंक को अभी रूपांकित सेक्शन में नहीं किया गया है। सिर्फ नहर भाग जिसमें लाईनिंग हुआ है, के सेक्शन को ही रूपांकण के अनुसार किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्धारित Outlay के अनुसार भुगतान किए जाने की सूचना देते हुए आगे के भुगतान

हेतु आवंटन नहीं होने की बात कही गई, जिसके लिए अपने स्तर से समीक्षोपरांत आवंटन प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा दिया गया।

(क) संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कतिपय नहर के बेड में लाईनिंग का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु लाईनिंग के नीचे मिट्टी कार्य का भुगतान लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता/संवेदक द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके लिए अभियंता प्रमुख द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उक्त से संबंधित स्थिति स्पष्ट करते हुए एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का संवेदक को लंबित भुगतान नियमानुकूल तरीके से दिनांक 13.02.2026 तक करने का निदेश अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा दिया गया।

(ख) अतिक्रमण से संबंधित समस्याओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए। संबंधित अधीक्षण अभियंता को अतिक्रमण की स्थिति Verify करते हुए उक्त के संबंध में विभागीय स्तर से निर्गत दिशा–निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। अतिक्रमण से संबंधित डाटा तैयार करते हुए संबंधित जिला पदाधिकारी से मिलकर उसे हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ हीं उक्त से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ग) क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक को निदेशित किया गया कि वैसे नहर/नहरों के प्रभाग में कार्य करना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें अभी कोई समस्या नहीं है। महल एवं सिकड़िया उपवितरणी में दिनांक 07.02.2026 से कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

<u>ग्रुप सं0–06</u>

ग्रुप सं0–06 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, छपरा, महाराजगंज एवं एकमा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, छपरा है। कार्य की भौतिक प्रगति 78.58 % है। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। दिनांक 31.05.2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है, लेकिन संवेदक द्वारा उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।

संवेदक द्वारा बताया गया कि एकरारनामा में प्रावधानित मिट्टी कार्य से विचलन की स्थिति में लगभग 6.5 लाख घन मी0 मिट्टी का भुगतान लंबित है। विचलन के कारण आउटलेट निर्माण का भुगतान लंबित है। वृक्ष पातन की समस्या है। बालू के लीड की भुगतान का माँग संवेदक द्वारा किया गया। स्थल पर विद्युत पोल शिफ्टिंग की भी समस्या है। संवेदक द्वारा लीड से मिट्टी कार्य, लाईनिंग के नीचे किए गए मिट्टी कार्यों के भुगतान लंबित होने की बात कही गई। कार्यपालक अभियंता, छपरा द्वारा बताया गया कि संवेदक स्तर से कार्यों के भुगतान हेतु समर्पित ग्राफ में नहर भाग का पूरा सेक्शन बैंक सहित दर्शाते हुए मिट्टी के भुगतान का माँग किया जा रहा है। जबकि नहर के बैंक को अभी रूपांकित सेक्शन में नहीं किया गया है। सिर्फ नहर भाग जिसमें लाईनिंग हुआ है, के सेक्शन को ही रूपांकण के अनुसार किया गया है।

(क) उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का संवेदक को लंबित भुगतान नियमानुकूल दिनांक 13.02.2026 तक करने का निदेश प्रमंडलीय पदाधिकारियों को दिया गया। लाईनिंग के नीचे किए गए मिट्टी कार्यों का नियमानुकूल भुगतान हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

(ख) विचलन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति की कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

<u>ग्रुप सं0–08</u>

ग्रुप सं0–08 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज, सिवान एवं मढ़ौरा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज है। कार्य की भौतिक प्रगति 88.44 % है। संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति संतोषजनक है। दिनांक 31.05.2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है। वृक्ष पातन के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

संवेदक द्वारा बताया गया कि गोपालगंज एवं सिवान प्रमंडल अन्तर्गत उनके कार्यों की प्रगति लगभग 91.00 % है, जबकि मढ़ौरा प्रमंडल अन्तर्गत उनके कार्य की प्रगति 51.18 % दर्शाया जा रहा है, जिसमे सुधार की आवश्यकता है। उनके द्वारा बताया गया कि मढ़ौरा प्रमंडल अन्तर्गत वैसे कार्य जो नहीं होने वाले है, उन्हें डिस्कोप नहीं किया गया है। अगर उसे डिस्कोप कर दिया जाए, तो मढ़ौरा प्रमंडल अन्तर्गत उनके कार्यों की प्रगति 70 % हो

जाएगी। कार्यपालक अभियंता, मढ़ौरा द्वारा भी उक्त से सहमति जताई गई। संवेदक द्वारा ससमय निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण कर देने की बात कही गई।

(क) उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का संवेदक को लंबित भुगतान नियमानुकूल दिनांक 13.02.2026 तक करने का निदेश प्रमंडलीय पदाधिकारियों को दिया गया।

ग्रुप सं0–09

ग्रुप सं0–09 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, मैरवा अन्तर्गत है। कार्य की भौतिक प्रगति 43.44 % है। संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। दिनांक 31.05.2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है।

संवेदक द्वारा बताया गया कि वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल विस्थापन की समस्या है। साथ हीं ओभरहेड डिफरेन्स के भुगतान में विलंब हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्याय निर्णय के आलोक में कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 31.05.2026 तक थी। वर्तमान में कार्य बन्द है।

(क) उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा एकरारनामा अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का संवेदक को लंबित भुगतान नियमानुकूल दिनांक 13.02.2026 तक करने का निदेश प्रमंडलीय पदाधिकारियों को दिया गया।

बैठक के संबंध में विभागीय पत्रांक 255 दिनांक 03.02.2026 द्वारा प्रेषित सूचना पत्र में संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकरियों को योजना से संबंधित सभी वांछित अभिलेख/कागजात के साथ बैठक में शामिल होने के निदेश के बावजूद समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुछ अभिलेख सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि सभी ग्रुपों के नोडल पदाधिकारी योजना से संबंधित सभी वांछित अभिलेखों का संधारण एवं उपस्थापन सही तरीके से करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु अन्य सम्बद्ध प्रमडल उन्हें वांछित अभिलेख/सहयोग ससमय उपलब्ध कराऐंगे।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग द्वारा सभी ग्रुपो के लिए समेकित रूप से दिया गया निदेश निम्नांकित है :–

(क) Electrical Pole Shifting के संबंध में अभियंता प्रमुख द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऊर्जा विभाग से प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में Electrical Pole Shifting का कार्य के संबंध में नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाए।

Pole Shifting से संबंधित बाधक मामले का निपटारा में कठिनाई होने पर मुख्य अभियंता, सिवान एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, NBPDCL से सम्पर्क कर मामले का समाधान करेंगे, जहाँ समाधान में किसी प्रकार का व्यवधान हो, वैसी स्थिति में अविलंब तथ्यों को अंकित कर विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(ख) वृक्ष पातन के संबंध में अभियंता प्रमुख द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर युद्ध स्तर पर वृक्ष पातन का कार्य कराया जाए। इसपर आने वाले व्यय को अतिरिक्त कार्य मद के रूप में सम्मिलित किया जाए।

(ग) कार्य में संलग्न पदाधिकारियों द्वारा Encumbrance Register (बाधा पंजी) का समुचित रूप से संधारण किया जाय एवं कार्य में आ रहे बाधा का ससमय निराकरण सुनिश्चित किया जाय।

(घ) समीक्षा के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया कि एकरारनामा अन्तर्गत कुछ प्रावधानित कार्य नहीं कराया जाना है, लेकिन संबंधित प्रमंडलों द्वारा अभी भी उन्हें कराए जाने वाले कार्यो के तहत दर्शाया जा रहा है। मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वैसे कार्य जिन्हें नहीं कराया जाना है, उसकी समीक्षा कर उसे डिस्कोप करने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

(ङ) डिस्कोप किये जाने के उपरांत शेष बचे कार्यो को निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराए जाने हेतु संवेदक से वर्क प्रोग्राम प्राप्त कर निर्धारित समय–सीमा में कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

13/2/2026

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

333

ज्ञापांकः– मो0 2 सिवान (विविध)–109/2025– 341 /पटना, दिनांक : 12-02-2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान/छपरा तथा कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे/छपरा/महाराजगंज/एकमा/मढ़ौरा/मैरवा/गोपालगंज/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान अपने स्तर से सभी संबंधित संवेदक को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12/2/2026
(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांकः– मो0 2 सिवान (विविध)–109/2025– 341 /पटना, दिनांक : 12-02-2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/2/2026
(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांकः– मो0 2 सिवान (विविध)–109/2025– 341 /पटना, दिनांक : 12-02-2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/2/2026
(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांकः– मो0 2 सिवान (विविध)–109/2025– 341 /पटना, दिनांक : 12-02-2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई तथा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

12/2/2026
(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

परिशिष्ट–1 :–

1. ई0 अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना
2. ई0 जयप्रकाश पासवान, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान ।
3. ई0 प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना।
4. ई0 अनिल कुमार, अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान।
5. ई0 मो0 इमरान अहमद, अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा।
6. ई0 प्रफुल्ल कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–7, पटना।
7. ई0 सुरेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा।
8. ई0 दीपक कुमार, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान।
9. ई0 मो0 जीशान अली, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा।
10. ई0 मो0 कमरूजम्मा, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा।
11. ई0 नीरज कुमार सिंह, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02।
12. ई0 नीलमणि, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज।
13. ई0 राणा रणधीर वर्मा, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज।
14. ई0 पियुष कुमार, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा।
15. ई0 अनिश कुमार पटेल, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा।
16. ई0 मो0 कमाल अशरफ, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा।
17. ई0 राजेश कुमार, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा।
18. ई0 अमरजीत कुमार, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा।
19. ई0 रविन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा।
20. ई0 मनीष कुमार, कनीय अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा।
21. ई0 रौशन कुमार, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज।
22. श्री दीपक कुमार, Senior Accounts Clerk
23. श्री अजीत पाण्डेय, M/S Baibhav Pvt. Ltd.
24. श्री सतीश कुमार, R.K.S Engicon Pvt. Ltd.
25. श्री शरद कुमार, M/S Sri Ram Enterprises.
26. श्री विनोद कुमार सिंह, M/S Kamladitya Const. Pvt. Ltd.
27. श्री तुषार शर्मा, M/S Patel Engg.